संख्या- 15 /2025/ 50 /चार-2025

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

2. निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी, 2025**

विषय:- सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में संग्रहालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के उपयोगार्थ सामग्रियों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के पत्र संख्या-987/उ0प्र0सं0नि0-(कुम्भ-2025)/2024-25, दिनांक 02.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में संग्रहालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के उपयोगार्थ सामग्रियों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु रू0 7,38,000.00 की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या- 3439/चार-2024-1823487 दिनांक 18.11.2024 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद से उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को प्रदर्शनी हेतु रू0 350.00 लाख की सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष अब तक शासनादेश संख्या- 01/2025/3955/चार-2024 दिनांक 01 जनवरी, 2025 द्वारा रू0 50.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 02/2025/3906/चार-2024 दिनांक 01 जनवरी, 2025 द्वारा रू0 2,62,19,600.00 अर्थात् कुल रू0 3,12,19,600.00 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के उपर्युक्त पत्र दिनांक 02.01.2025 द्वारा प्रस्तावानुसार सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में संग्रहालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के उपयोगार्थ सामग्रियों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु निम्नलिखित सारणी के मदों के अनुसार **रू0 7,37,500.00 (रूपये सात लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति, शासन के पूर्व शासनादेश संख्या-3439/चार-2024-1823487, दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में, प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	मद	प्रस्तावित व्यय (रू0 में) (जी0एस0टी0 सहित)	अभ्युक्ति
1	एल0ई0डी0 बैकलिट 110 अदद छायाचित्र बनवाने एवं माउंटिंग आदि का कार्य।	3,85,000.00	जेम से प्राप्त विवरणानुसार।
2	महाकुम्भ-2025 में आयोजित प्रदर्शनी से संबंधित ब्रोशर (ए4 साइज-2000 अदद एवं पॉकेट साइज-10000 अदद)	1,01,000.00	
3	ए0आर0 / वी0 आर0 रूम हेतु दर्शकों के बैठने हेतु बेंच- 10 अदद	96,500.00	
4	कैनवास प्रिंटिंग एवं डाईस शेप सिटिंग चेयर- 10 अदद	1,55,000.00	
	योग (रू0 सात लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र)	**7,37,500.00**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध:-</u>

(1) शासनादेश संख्या- 01/2025/3955/चार-2024 दिनांक 01 जनवरी, 2025 तथा शासनादेश संख्या- 02/2025/3906/चार-2024 दिनांक 01 जनवरी, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सूचना/ पर्यटन/ सचिवालय प्रशासन / मेला प्रशासन, प्रयागराज/ टेण्डर/ जेम पोर्टल की दरों के आधार पर न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जायेगा।

(3) वित्तीय औचित्य के मानकों एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर प्रस्तावित प्रदर्शनियों संबंधी कार्य पूर्ण कराए जाएं तथा कराये गये कार्यों पर व्यय की गयी धनराशियों के बिल वाउचर सत्यापित कर व्यय की गयी धनराशि के बिल भुगतान हेतु संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

<u>संख्या - 15 /2025 /50 (1)/चार-2025 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।